अध्याय 21

वाचा की पुस्तक (भाग 2)

अध्याय 21 में, परमेश्वर ने मूसा को विशेष नियमों को देना जारी रखा जो वाचा की पुस्तक का निर्माण करते हैं (20:22-23:33)। अध्याय एक अनुस्मारक के साथ आरम्भ होता है कि परमेश्वर इन नियमों का श्रोत था जिन्हें मूसा इस्राएल को सौंपने वाला था (21:1)। इसके बाद परमेश्वर ने दासत्व के सम्बन्ध में कुछ नियम दिए, जिनमें आज्ञा दी गई थी की दासत्व कब और कैसे समाप्त होगा (21:2-11)। उसने व्यक्तिगत हानियों, जिनमें हत्या, आकस्मिक हत्या, व्यक्तिगत चोट, और अन्य सम्बन्धित अपराधों के प्रति नियमों को भी प्रदान किया (21:12-27)। इस अध्याय के अंत बैलों के सम्बन्ध में नियम दिए गए हैं। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं जिनमें बैल लोगों को हानि पहुँचाते हैं, और इसके साथ ऐसी परिस्थितियाँ भी जिनमें बैलों को स्वयं हानि पहुँची थी (21:28-36)।

दासत्व से सम्बन्धित नियम (21:1-11)

पुरुष दास जो छः वर्ष तक सेवा करते थे (21:1-6)

[1]फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं: [2]"जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वह छः वर्ष तक सेवा करता रहे, और सातवें वर्ष स्वतन्त्र होकर सेंतमेंत चला जाए। [3]यदि वह अकेला आया हो, तो अकेला ही चला जाए; और यदि पत्नी सहित आया हो, तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। [4]यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियाँ उत्पन्न हुई हों, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें, और वह अकेला चला जाए। [5]परन्तु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, 'मैं अपने स्वामी, और अपनी पत्नी, और बालकों से प्रेम रखता हूँ; इसलिये मैं स्वतन्त्र होकर नहीं जाऊँगा;' [6]तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर या न्यायियों के पास ले चले; फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे; तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे।"

आयत 1. परमेश्वर लोगों से अब प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर रहा था, जैसा कि उसने दस आज्ञाओं की घोषणा के समय किया था। बल्कि, उसने इन आवश्यकताओं को मूसा को सौंप दिया, जो इन्हें इस्राएल को बताने के लिए

उत्तरदायी था (20:22)। निर्गमन 21-23 के नियमों को **आज्ञाएँ** (מִשְׁפָּטִים, *मिशपतीम)* या "निर्णय [फैसले]" कहा जाता है (KJV)।[1] इस शब्द का उपयोग यह संकेत कर सकता है कि जो नियम दिए जा रहे थे वे यदि वे महत्व में नहीं, तो कम से कम संरचना में पिछले नियमों से भिन्न थे। वाल्टर सी. कैसर, जूनियर, ने कहा कि ये "इस्राएल के नागरिक न्यायाधीशों का नागरिक विवादों के मुकद्दमों में मार्गदर्शन करने के लिए एक उदाहरण,"[2] का सन्दर्भ देते हैं। जॉन आई डरहम ने शब्द का अनुवाद "मार्गदर्शक निर्णयों" में किया और आगामी नियमों के विषय में "मुकद्दमों के निर्णय" या "उदाहरण-निर्णय" के रूप में यह जोड़ते हुए बात की और कहा कि वे दस आज्ञाओं में दिए गए "वर्णित सिद्धांतों" के अनुप्रयोग थे।[3]

आयत 2. आज्ञा का पहला भाग **एक इब्री दास** को **खरीदने** की शर्तों का वर्णन करता है। दो परिस्थितियों पर विचार किया गया है: एक पुरुष दास जिसने **छः वर्षों** तक सेवा की थी (21:1-6) और एक महिला दास जिसे एक साथी के रूप में, स्वामी या उसके पुत्र के लिए खरीदा गया था (21:7-11)।

प्राचीन संसार में मुख्य रूप से दास विजय के द्वारा या मोल लेने के द्वारा अर्जित किए जाते थे। जब एक देश दूसरे पर विजय प्राप्त करता, जीते गए लोग "युद्ध की लूट" बन जाते और आमतौर और उन्हें विजेताओं के द्वारा दासों के रूप में सेवा करने के लिए ले जाया जाता था। दासत्व में ले जाया जाना क्रूर प्रतीत होता है, परन्तु इसका विकल्प मारा जाना था। दास निर्धनता के द्वारा भी बनाए जाते थे: कोई व्यक्ति स्वयं या उसके बच्चों को अपना कर्ज चुकाने के लिए बेचने का चुनाव कर सकता था। युद्ध में जीते गए दासों के बच्चे अथवा गैर-यहूदी दास जिन्हें खरीदा गया था वे एक घराने में एक दास के रूप में जन्मे थे।

21:1-11 में जिन दासों पर चर्चा की गई है वे मोल लेने के द्वारा अर्जित किए गए थे और जो "इब्री" दास थे। कुछ टिप्पणीकार विश्वास करते हैं कि "इब्री" (עִבְרִי, *इब्री)* उपाधि का उपयोग "इस्राएली" से अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है, - कि सम्भवतः यह भूमिहीन लोगों समेत एक सामान्य वर्ग का सन्दर्भ देता है, परन्तु यह निर्धन इस्राएलियों तक सीमित नहीं है। हालाँकि, निर्गमन में इस शब्द के पिछले उल्लेख इस विचार के विरूद्ध तर्क देते हैं (1:15, 16, 19; 2:6, 7, 11, 13; 3:18; 5:3; 7:16; 9:1, 13; 10:3)। इनमें से अधिकांश वाक्यांशों में, यहोवा को "इब्रियों का परमेश्वर," कहा गया है, को कि इस्राएली हैं। इसके परे, इब्री दास को एक समानांतर वाक्यांश (व्यव. 15:12) में "तुम्हारा भाईबन्धु" के रूप में मान्यता दी गयी है। व्यवस्था ने इब्री दासों के लिए नियम दिए जो अन्य दासों पर लागू नहीं होते थे। उदाहरण के लिए, युद्ध में अर्जित किए गए दासों को मजदूरी के छः वर्षों के बाद स्वतंत्र नहीं किया जाता था।

सामान्य नियम यह है कि मोल लेने के द्वारा अर्जित किया गया एक दास केवल "छः वर्षों" तक एक दास रहता था; **सातवें** वर्ष में वह **मोल चुकाए** बिना या उसके "छुटकारे" का कोई दाम चुकाए बिना ही एक **स्वतंत्र व्यक्ति** के रूप में चला जाता था। इस सन्दर्भ में दासत्व, अब, अनुबंधित दासता के समान था: दास एक निश्चित मूल्य के लिए एक निश्चित वर्षों की संख्या तक कार्य करता था, और धन को उस

व्यक्ति के उस कर्ज को चुकाने के लिए उपयोग किया जाता जो उसने दास बनने से पहले लिया था। व्यवस्थाविवरण इसमें और बातें भी जोड़ता है कि दास के स्वामी को उसे खाली हाथ नहीं भेजना था, परन्तु अपने भेड़-बकरियों, खलिहानों और दाखकुण्डों से उसे उदारता पूर्वक देना पड़ता था (व्यव. 15:13, 14)। यह शब्द यह संकेत भी करता है कि ये नियम इब्री स्त्रियों पर भी लागू होते थे जो दासी थीं (व्यव. 15:12)। इसकी करण स्त्रियाँ स्वामी या उसके पुत्र की साथी बनने की अपेक्षा के बिना ही दासी बन सकती थीं (21:7 पर टिप्पणियाँ देखें)।

आयतें 3-6. अन्य व्याख्याएँ "यदि ... इसके बाद" उपवाक्यों की संख्या के माध्यम से दी गई हैं:

(1) यदि वह **अकेला** आया था - जिसका अर्थ है, यदि वह एक अविवाहित दशा में एक उस घर में दास बना था - तो उसे **अकेले** जाना पड़ता था (21:3)।

(2) यदि वह विवाहित आया था, तो वह उसे अपनी **पत्नी** के साथ जाना पड़ता था (21:3)।

(3) यदि वह अविवाहित आया था परन्तु उसे उसके दासत्व के दौरान **एक पत्नी** दी गई थी, तो उसे अपने **स्वामी** के पास अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर, **अकेले** जाना पड़ता था (21:4)। हालाँकि यह नियम कठोर सुनाई पड़ता है, फिर भी यह स्वामी और दास दोनों के लिए न्यायोचित था।

(4) यदि, **पत्नी** और **बच्चों** को पीछे छोड़कर जाने को सम्मुख पाकर, **दास** निर्णय लेता कि वह अपने **स्वामी** के साथ ही रहने का चुनाव करेगा, तो इसके बाद दास को **परमेश्वर** (אֱלֹהִים, *इलोहीम)* सामने लाये जाता था (21:5, 6)। यद्यपि बहुवचन शब्द इलोहीम (या एलोहीम) परमेश्वर की एक उपाधि है, फिर भी यह शब्द लोगों के शासकों और न्यायियों का सन्दर्भ भी हो सकता है। कुछ संस्करण इसे यहाँ पर "परमेश्वर के रूप में" (NASB; NRSV; REB; NAB; NJB), में अनुवाद करते हैं जबकि अन्य (KJV; NKJV; NIV) इसे "न्यायियों" में अनुवाद करते हैं। इस सन्दर्भ में, शब्द सम्भवतः परमेश्वर के प्रतिनिधियों, सम्भवतः इस्राएल के पुरनियों अथवा याजकों का सन्दर्भ देता है।

मन्दिर में, दास अपने स्वामी के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा। इसके बाद, **द्वार के किवाड़** के पास, उसका कान **छेदा** जाएगा। यह सांकेतिक कार्य सम्भवतः स्वामी के घर पर किया जाता था, हालाँकि कुछ टिप्पणीकार विश्वास करते हैं कि इसका अर्थ मन्दिर के द्वार के किवाड़ था। उसके कान के छेद में, जिसमें कुछ लोग सोचते हैं कि एक चिप्पी लगाई जाएगी, यह उसके स्वामी के स्वामित्व का चिन्ह होता था। कान का छेदा जाना दास के पद को छोड़ अन्य किस बात का चिन्ह होता था यह अनिश्चित है। इसने उसके स्वामी को सुनने और उसकी आज्ञापालन करने की उसकी इच्छा का संकेत दिया होगा।

जॉन जे. डेविस ने यह लिखा कि, "एक इब्री दास के लिए एक इब्री स्वामी के प्रति अनैच्छिक दासत्व जैसी कोई वस्तु नहीं थी।"[4] हालाँकि, एक इब्री दास स्वेच्छा से स्वयं को अपने स्वामी के साथ जीवन भर सेवा करने के लिए बाँध सकता था। बाद में दिए गए कानून के अनुसार, सभी इस्राएली दासों को प्रत्येक पचासवें वर्ष,

जुबली के वर्ष में सभी इस्राएली दासों को स्वतंत्र करना पड़ता और उन्हें उनके देश लौटने की अनुमति देनी पड़ती थी (लैव्य. 25:10)। फिर भी, इस्राएली उन दासों को जो गैर-इस्राएली थे स्थाई तौर पर अर्जित कर सकते थे और रख सकते थे और उन्हें उनके बच्चों को सौंप सकते थे (लैव्य. 25:44-46)।

पत्नी के रूप में खरीदी गई दास स्त्रियाँ (21:7-11)

7"यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिये बेच डाले, तो वह दासी के समान बाहर न जाए। 8यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए, और फिर उस से प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे; उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। 9यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो, तो उससे बेटी का सा व्यवहार करे। 10चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तौभी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। 11और यदि वह इन तीन बातों में घटी करे, तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए।"

आयत 7. यदि एक इस्राएली अपनी **बेटी को दासी होने के लिए बेच देता था**, तो उससे **पुरुष दासों** की अपेक्षा भिन्न व्यवहार करना पड़ता था। अनुमान यह है कि स्त्री को स्वामी या उसके पुत्र की पत्नी होने के लिए खरीदा जाता था। यदि स्वामी उसे अपनी ही पत्नी होने के लिए मोल लेता, तो वह छः वर्ष के बाद स्वतंत्र होकर नहीं जा सकती थी। क्यों? इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। सम्भवतः, उसने जिस "व्यापार सौदे" के अंतर्गत उस घर में प्रवेश किया था उसे तब कुछ अधिक समझा जाता था जब वह अपने स्वामी से विवाह कर लेती थी। विवाह के स्वामी और एक दास के बीच एक व्यापारिक सम्बन्ध के समान नहीं है। नियम तलाक के प्रति परमेश्वर के व्यवहार की ओर संकेत करता है: वह इससे घृणा करता है (मलाकी 2:16)।

आयतें 8-11. क्या यह पाबंदी स्त्री दास के लिए उचित थी जिसे छः वर्ष के बाद स्वतंत्र नहीं किया जाता था? आज्ञा इस बात की आशा करते हुए प्रतीत होती है यह मोल-भाव दोनों पक्षों के लिए ठीक रहेगी, परन्तु इस प्रकार के लेनदेन के कई परिणाम हो सकते थे।

(1) स्वामी के दूसरी पत्नी कर लेने पर भी, यह मोल ली गई पत्नी सदैव **उसका भोजन, वस्त्र और संगति** प्राप्त करती रहेगी (21:10)।

(2) यदि स्वामी उसे पत्नी के रूप में अप्रिय जाने, तो वह उसे दाम से **छुड़ाई** जाने दे (21:8)। दूसरे शब्दों में, यदि खरीदारी संतोषजनक नहीं थी, तो दासी का पिता उसे वापस खरीद सकता था। स्वामी उसे **विदेशियों** को नहीं बेच सकता था क्योंकि यह उसके लिए पक्षपात पूर्ण होगा। यद्यपि यह वाक्यांश केवल गैर-इस्राएलियों का सन्दर्भ हो सकता है, परन्तु इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह पुरुष जिसने उसे खरीदा था वह उसे तीसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता था,

एक ऐसा परिवार जिससे न उसका और न दासी का परिवार परिचित थे।

(3) यदि स्वामी **उसके पुत्र** की पत्नी होने के लिए उसे मोल लेता, तो उसे उसके साथ बेटी के समान व्यवहार करना पड़ता था (21:9)।

(4) यदि स्वामी उसे मोल लेता, और अपनी पत्नी बना लेता, और उसके बाद उसके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहता, तो वह **बिना दाम** चुकाए जा सकती थी (21:11)। वह अपनी स्वतंत्रता को खरीदे बिना ही स्वतंत्र स्त्री बन जाती थी।

निर्गमन 21:1-11 और इसके बाद आने वाली आज्ञाएँ दर्शाती हैं कि प्राचीन इस्राएल में दासत्व जीवन का एक तरीका था। व्यवस्था के दिए जाने से पहले, यह पहले से स्वीकृत विधि थी, और मूसा की व्यवस्था ने इसे निर्वासित नहीं किया। हालाँकि, व्यवस्था ने दासत्व को इस ढंग से नियंत्रित किया, कि काफी हद तक, इसके नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो गए थे।

गॉर्डन डी. फी और डगलस स्टुअर्ट ने व्यवस्थाविवरण 15:12-17 पर टिप्पणी करते हुए कहा, कि दासों के सम्बन्ध में नियमों से मसीही चार बातें सीख सकते हैं: (1) पुरानी वाचा के अंतर्गत परमेश्वर के द्वारा दासता का नियन्त्रण कठोर या निर्दयी नहीं था। (2) परमेश्वर दासों से भी उसी प्रकार प्रेम करता है जिस प्रकार वह उन लोगों से प्रेम करता है जो स्वतंत्र हैं। (3) दासत्व का अभ्यास इस प्रकार से किया जाता था कि दस बन्धुवाई में स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में होते थे। (4) स्वामी का दास पर पूरी तरह से स्वामित्व नहीं होता था। परमेश्वर स्वामी और दास दोनों का ही स्वामी था।[5]

व्यक्तिगत हानियों से सम्बन्धित नियम (21:12-27)

वाचा की पुस्तक के इस भाग में, ऐसे नियम हैं जो "व्यक्तिगत हानियों" - लोगों की हत्याओं या उन्हें चोट पहुँचाने से सम्बन्धित हैं। ये विधियाँ सबसे पहले सामान्य नियम देती हैं और इसके बाद विशिष्ट मामलों पर लागू होती हैं।

हत्या (21:12-14)

[12]"जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। [13]यदि वह उसकी घात में न बैठा हो, और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊँगा जहाँ वह भाग जाए। [14]परन्तु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिये मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना।"

आयत 12. यह आयत 20:23 और 21:2 के समान ही, एक सामान्य नियम बताने के द्वारा एक नए भाग का आरम्भ करती है। यह छठवीं आज्ञा (20:13), पर आधारित है, परन्तु यह जब कोई हत्या को दोषी हो तो उसे दण्ड दिए जाने को

इसमें जोड़ने के द्वारा उससे भिन्न है। दण्ड उसी प्रकार था जो कैन के विलापगीत में अंतर्निहित था (उत्पत्ति 4:14) और परमेश्वर ने प्रलय के बाद नूह के साथ अपनी वाचा में विशेष तौर पर इसकी आज्ञा दी थी (उत्पत्ति 9:6)। जो व्यक्ति हत्या करता था उसे **मार डाला जाता था**।

आयत 13. सामान्य नियम के साथ परिस्थितियाँ भी हैं जो यह दर्शाती हैं कि इसे किस प्रकार विशेष मामलों में लागू किया जाए। व्यवस्था ने हत्या और मानव-हत्या के बीच भेद किया। इसमें विचार उद्देश्य है: यदि एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा परन्तु **वह उसकी घात में नहीं बैठा था** - जिसका अर्थ है कि, हत्या सोची समझी नहीं थी - तो वह व्यक्ति हत्या का दोषी नहीं था। फिर भी, उसके कार्य के परिणाम रहे होंगे। वह एक शरण के नगर में **भाग** जाता (देखें गिनती 35),[6] जहाँ पर उसे परखा जाता था। यदि वह उस हत्या का दोषी नहीं होता था जिसे "पहले दर्जे की हत्या" कहा जाता था, तो वह महायाजक की मृत्यु तक उस नगर में रहने के द्वारा मृत्यु से बच सकता था (गिनती 35:25, 28; यहोशू 2:6)।

आयत 14. यदि, दूसरे हाथ पर, उसने **ढिठाई** से **अपने पड़ोसी** को **छल से घात करने** के लिए मारा, तो उसे बख्शा नहीं जाता था। उसे **मरना** पड़ता था, चाहे उसने मृत्यु से बचने के लिए **वेदी** के सींगो को पकड़ने का प्रयास ही क्यों न किया हो (देखें 1 राजा 2:28-34)। अन्य शब्दों में, यदि किसी ने दूसरे व्यक्ति को मारने की योजना बनाई और स्वेच्छा से ऐसा किया भी, तो वह हत्या का दोषी था और उसे निश्चय मार डाला जाना चाहिए।

अन्य प्राणदण्ड योग्य अपराध (21:15-17)

15"जो अपने पिता या माता को मारे-पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। 16जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। 17जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए।"

एक मनुष्य को मारने के विषय में नियमों के साथ ही तीन अपराधों के लिए प्राणदण्ड आवश्यक था। प्रत्यक्ष रूप से, ये अपराध परमेश्वर के लिए हत्या के समान ही घृणित थे। पहला और तीसरा किसी व्यक्ति के उसके माता-पिता से सम्बन्ध से सम्बन्धित था; दूसरा, एक व्यक्ति की अपनी देह की अपनी पवित्रता के लिए था।

आयत 15. "अपने माता-पिता का आदर करने" (20:12) की पाँचवीं आज्ञा की इस आयत में और अधिक व्याख्या की गयी है। जो व्यक्ति **अपने माता या पिता** को मारे-पीटे या उनका शारीरिक शोषण करे उसे **मृत्यु** का दण्ड दिया जाएगा।

आयत 16. जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का **अपहरण** करे वह भी मृत्युदण्ड पाएगा। जिस प्रकार हत्या एक जीवन लेती है, उसी प्रकार अपहरणकर्ता एक व्यक्ति का जीवन चुरा लेता है - जो आठवीं आज्ञा का उल्लंघन है (20:15)। अपहरण किए गए व्यक्ति के साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, अपहरणकर्ता को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। कोई भी इस्राएली किसी अन्य व्यक्ति को बलपूर्वक दास नहीं

बना सकता था; किसी को चुराना और उसे दास बना उसका अपहरण होगा, जिसका दण्ड **मृत्यु** होगा।

आयत 17. पाँचवीं आयत पर फिर से बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। जो व्यक्ति **अपने माता-पिता को श्राप देता है** वह भी दोषी ठहरेगा। हो सकता है कि यह किसी के माता-पिता को श्राप देने के एक घटना का सन्दर्भ नहीं था, बल्कि एक निरंतर व्यवहार का सन्दर्भ था। जॉन एच. वाल्टन और विक्टर एच. मैथ्यूज़ ने लिखा "यहाँ पर अपराध श्राप देना नहीं बल्कि अपमान का व्यवहार करना है।"[7] फिर भी, "श्राप" (קָלַל, *कलाल)* में किसी का अपमान करना या उसे कष्ट देने का विचार हो सकता है (उत्पत्ति 16:4, 5), क्रिया साधारण तौर पर किसी को उस समय श्राप देने का सन्दर्भ देती है जब यह अधिक गहन रूपों में प्रकट होता है (उत्पत्ति 12:3; लैव्य. 24:14, 23; 2 शमूएल 16:5; नीति. 20:20; सभो. 7:21)।

15 और 17 में आज्ञाएँ इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं कि उन्हें तोड़ना किसी को **मृत्यु** दण्ड के योग्य ठहरा सकता था? शायद इस प्रश्न का उत्तर यह है कि माता-पिता का अधिकार परमेश्वर के उसकी संतानों के ऊपर अधिकार का प्रतिबिंब है; किसी का अपने माता-पिता को चोट पहुँचाना या श्राप देना परमेश्वर के अधिकार पर चोट करना है। इस प्रकार का व्यवहार एक अराजक समाज की ओर नेतृत्व करता है। परमेश्वर माता-पिता के विरुद्ध अनाज्ञाकारिता और अनादर को गंभीर अपराध समझता है।

प्रहार के कारण लगी चोटें (21:18-27)

प्राणदण्ड योग्य अपराधों को सम्बोधित करने बाद, शब्द चार परिस्थितियों के विषय में बताता है जिनमें हत्या करना सम्मिलित नहीं था, बल्कि चोट पहुँचाना था। इन सब में सामान्य बात या तो जानबूझकर या आकस्मिक तौर पर "प्रहार करना" अथवा "चोट खाना" है (देखें 21:18, 19, 20, 22, 26)।

जब कोई व्यक्ति झगड़ता और दूसरों को हानि पहुंचाता हो (21:18, 19)

[18]"यदि मनुष्य झगड़ते हों, और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परन्तु बिछौने पर पड़ा रहे, [19]तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारनेवाला निर्दोष ठहरे; उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे, और उसको भला चंगा भी करा दे।"

आयत 18. यहाँ पर प्रस्तुत पहले मामले में, एक व्यक्ति दूसरे को तब घायल करता है जब दोनों लड़ रहे होते हैं; प्रत्यक्ष रूप से दोनों झगड़े के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। कोई **मरता** नहीं, तो मृत्यु दण्ड लागू नहीं होगा। चोट गंभीर नहीं है; जिस व्यक्ति को चोट लगी है वह **बिस्तर में पड़ा रहता है** परन्तु बाद में चंगा हो जाता है।

आयत 19. यदि घायल व्यक्ति **अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे** (बैसाखियों के सहारे चलने के समान), तो निर्धारित दण्ड यह था की जिस व्यक्ति ने चोट पहुँचाई थी उसे **उसके समय के नुकसान की भरपाई** निश्चय ही करनी पड़ती थी। अन्य शब्दों में, घायल करने वाले व्यक्ति कर्तव्य घायल व्यक्ति को वह राशि चुकाना था जो उसे तब मिलती यदि वह अपने कार्य को करने के योग्य होता। घायल करने वाले द्वारा **उसके पूर्ण रूप से चंगा होने तक उसकी देखभाल करना भी** आवश्यक था। अन्य शब्दों में, वह उस व्यक्ति सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी था जिसे उसने चोट पहुँचाई थी, इसमें उसके चंगे होने तक, भोजन और चिकित्सकीय देखभाल भी सम्मिलित थी।

जब एक स्वामी अपने दास को मारता है और उसका दास मर जाता है (21:20, 21)।

[20]"यदि कोई अपने दास या दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब उसको निश्चय दण्ड दिया जाए। [21]परन्तु यदि वह दो एक दिन जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दण्ड न दिया जाए; क्योंकि वह दास उसका धन है।"

अगले नियम से एक प्रश्न अपेक्षित था: "यदि मैं किसी को चोट पहुँचाऊँ तो मैं उत्तरदायी हूँ, परन्तु यदि मैं अपने ही दास को चोट पहुँचाऊँ तो क्या व्यक्तिगत चोट का नियम तब भी लागू होता था?" इसका उत्तर है कि नियम लागू होता था, परन्तु कुछ संशोधनों के साथ। इसने दो सम्भावनाओं के विषय में बात की।

आयत 20. पहला, कोई एक **दास को सोंटे से ऐसा मारे**, कि वह मर जाए। इस प्रकार के मामले में, स्वामी को **दण्ड** दिया जाता था, हालाँकि दण्ड का ब्योरा नहीं दिया गया था। अनुमान यह कि स्वामी ने अपने दास को अनुशासित करने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग किया हो, या हो सकता है कि उसकी मंशा दास को मारने की भी रही हो। इसी कारण, स्वामी को निश्चित तौर पर दण्ड दिया जाना चाहिए।

आयत 21. दूसरा, कोई अपने दास को ऐसा मारे कि वह **एक या दो दिन** तक जीवित रहे और इसके बाद मर जाए। इस प्रकार के मामले में, स्वामी को दण्ड नहीं दिया जाता था। एक दास की हानि उसके लिए पर्याप्त दण्ड होगा, क्योंकि दास एक मूल्यवान **सम्पत्ति** था। इस मामले में अनुमान यह है कि, स्वामी की मंशा अपने दास को मारने की नहीं थी, इसके प्रमाण का तथ्य यह था कि दास मार खाने के बाद भी जीवित था।

इक्कीसवीं सदी में रहने वाले लोगों के लिए, यह बताता हुआ नियम कि एक स्वामी अपने दास को आकस्मिक रूप से मार सकता था क्रूर सुनाई पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यद्यपि ये नियम दासों को सम्पत्ति की श्रेणी में रखते थे, तो भी उन्हें मात्र सम्पत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। पुराने नियम की प्रणाली के अंतर्गत, एक दास किसी साजोसामान के टुकड़े या घरेलू पशु के

बराबर नहीं था। एक स्वामी को एक मेज को तोड़ने, या एक स्वामी को एक गाय को मारने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं थे। हालाँकि, एक दास का स्वामी उसके साथ क्या कर सकता था उसे सीमित करने के लिए नियम थे। दासों के पास सीमित अधिकार थे, परन्तु उनके पास अधिकार थे।

जब एक व्यक्ति झगड़ा करें और एक गर्भवती स्त्री पर प्रहार करें (21:22-25)

22"यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुँचाएँ कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। 23परन्तु यदि उसको और कुछ हानि पहुँचे, तो प्राण के बदले प्राण का, 24और आँख के बदले आँख का, और दाँत के बदले दाँत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का, 25और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दण्ड हो।"

आयत 22. तीसरे मामला जिसमें हत्या सम्मिलित नहीं थी, उसमें एक **गर्भवती** स्त्री को दो पुरुषों की लड़ाई के सम्बन्ध में चोट पहुँची थी। उसे चोट पहुँचाने का दण्ड उसकी चोट के बराबर दाम चुकाने का था।

इन आयतों के विषय में एक प्रश्न उठता है कि स्त्री **समय से पहले बच्चे को जन्म दिया** या उसका गर्भ गिर गया। इस विषय पर अनुवादों में अंतर हैं। NRSV, REB, NAB, और NJB सभी में "गर्भपात" शब्द को इस आयत का अनुवाद करते समय सम्मिलित किया गया है। NIV में शब्द में "वह समय से पहले ही जन्म दे देती है," परन्तु फुटनोट में "उसका गर्भपात हो जाता है" वैकल्पिक अध्ययन के लिए है। KJV कहती "उसका फल उससे दूर चला जाता है।"

इब्रानी शब्द में शाब्दिक तौर पर लिखा है: "वे एक गर्भवती स्त्री को चोट पहुँचाते हैं और संतान [बहुवचन] बाहर निकल जाती है और कोई चोट नहीं पहुँचती।" भाषा प्रत्यक्ष तौर पर अनेकार्थी है: शब्द स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहता कि जो बच्चा "बाहर आता है" वह एक गर्भपात का परिणाम है या समय से पहले जन्म देने का। इस स्थिति के लिए दृढ़ कारण रखा जा सकता कि इसका तात्पर्य एक गर्भपात के बजाए, समय से पहले जन्म देना है। डोनल पी. ओ'मथुना ने लिखा:

> क्रिया *यासा* का अर्थ "बाहर जाना" या "बाहर आना" है और यह माता के गर्भ (उत्पत्ति 25:25-26; 38:27-30) या उनके पिता की कटि (उत्पत्ति 15:4; 46:26) से बाहर निकलने वाली संतानों के सामान्य जन्म का सन्दर्भ देती है। केवल गिनती 12:12 इसका वर्णन मृत प्रसव के रूप में करती है, वहाँ पर विषय *येलेद* नहीं, परन्तु *मौत*, कुछ मृत है। *येलेद* को संतानों (या कुछ उदाहरणों के लिए गैर-मानव वंश में) की बजाए किसी और वस्तु में अनुवाद करने वाला एकमात्र बाइबल वाक्यांश निर्गमन 21 वाक्यांश है। जब पेंटाटुएक कहीं भी एक गर्भपात का वर्णन करता है, तो *सकल* का उपयोग किया गया है (उत्पत्ति 31:38;

निर्गमन 23:26)। इस प्रकार, शाब्दिक व्याख्या "उसकी संतानें बाहर आ गईं" या "जन्म ले लिया" बेहतर हैं, इसी कारण विषय अजन्मे का समय से पहले बाहर निकलने का परिणाम, भ्रूण की आयु पर आधारित विभिन्न संभव चोटों प्रहार के प्रभाव पर निर्धारित होना है।[8]

गर्भपात के वैकल्पिक दृष्टिकोण को प्राचीन निकट पूर्व के समानांतर वैध मूलशब्दों के द्वारा समर्थन दिया गया है। इन दोनों मामलों में से प्रत्येक में, स्त्री का बालक मर जाता है।[9]

उपवाक्य और **कुछ हानि न हो** पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से, एक हानि सम्मिलित है; अन्यथा नुकसान की भरपाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण, आयत 22 में "चोट" के लिए अधिकांश अनुवाद एक संशोधक जोड़ते हैं: "कोई गंभीर चोट नहीं" (NIV), "बनी रहने वाली कोई चोट नहीं" (NKJV), "और कोई हानि नहीं" (NRSV) (बल दिया गया है)। सन्दर्भ स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि अजन्मा बालक या तो गर्भपात या फिर समय से पहले जन्म के अधीन है, तो हानि की जा चुकी है; यहाँ एक चोट पहुंच चुकी है। जिस व्यक्ति ने वह नुकसान पहुँचाया है वह निश्चय ही उस स्त्री के **पति** को भरपाई करने के लिए जुर्माने का भुगतान करे। जुर्माने की राशि को पति की मांगों और न्यायालय के निर्णय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परिणामस्वरूप, शब्द संकेत करता है कि वाक्यांश का तात्पर्य "और कोई हानि नहीं" है।

यदि परिणाम "और अधिक चोट" हो - तो उदाहरण के लिए, यदि स्त्री को दूसरे प्रकार से गंभीर चोट पहुंचे - तो उसके लिए अतिरिक्त दण्ड है - जिसका वर्णन अगली तीन आयतों में किया गया है।

आयतें 23-25. यदि उसको बच्चे के समय से पहले जन्म के सम्बन्ध में **और कुछ हानि पहुँचे** जो लड़ने वाले पुरुषों के द्वारा पहुँची थी, तो इस्राएलियों को आज्ञा दी गयी थी कि **प्राण के बदले प्राण का, और आँख के बदले आँख का, और दाँत के बदले दाँत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दण्ड हो**।

छोटी चोट के परे जो बच्चे के समय से पहले जन्म का परिणाम थी, "आगे और कोई हानि पहुंचे," तो इसमें अतिरिक्त दण्ड आवश्यक था। कितना? ये आयतें एक सिद्धांत को स्थापित करती हैं कि हानि की सीमा द्वारा दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए। मूल रूप से, यह नियम सिखाता है कि दण्ड में की गई हानि की सीमा के आधार पर अंतर होना चाहिए।

"आँख के बदले आँख" के नियम को तकनीकी तौर पर *लेक्स टेलीओनिस* के रूप में जाना जाता है, एक लैटिन वाक्य जिसका अर्थ "प्रतिशोध का नियम" है। कुछ लोग इसका सन्दर्भ "जैसे को तैसा" के नियम के रूप में देते हैं। पेंटाटुक के अन्य संदर्भों में यह दो बार और पाया जाता है। पहला है लैव्यव्यवस्था 24:19, 20

शारीरिक हानि पहुँचाने से सम्बन्धी एक दण्ड का सन्दर्भ। दूसरा है व्यवस्थाविवरण 19:21, जिसमें झूठी साक्षी के विषय में बात की गई है। यह नियम एक रूढ़िवादी सिद्धांत हैं जिसका अर्थ है, "अपराध के अनुसार दण्ड मिलेगा।"[10]

सम्भवतः "आँख के बदले आँख" के नियम का तात्पर्य शाब्दिक नहीं था, नहीं तो इसके मुकाबले एक ऐसा नियम जिसने कहा कि परमेश्वर की विधियाँ "तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें" (व्यव. 6:8) उसका उद्देश्य यहूदियों को ताबीज़ पहनने का कारण बनेगा। एक आँख को बाहर निकाले जाने या एक हाथ के काटे जाने के द्वारा दण्डित किए जाने के बाइबल में बहुत कम प्रमाण हैं; इसके उदाहरणों में युद्ध के समयों में इस्राएली और उनके शत्रु सम्मिलित हैं (न्यायियों 1:6, 7; 16:21; 2 राजा 25:7)। व्यवस्था में केवल एक अन्य वाक्यांश में शारीरिक अंगच्छेदन आवश्यक प्रतीत होता है (व्यव. 25:11, 12), और यह भी असंभव है कि जिस दण्ड की यह आज्ञा देता है उसे कभी दिया गया था।[11]

वास्तव में, निर्गमन 21 में सन्दर्भ "आँख के बदले आँख" के सिद्धांत के विरोध में तर्क देता है। यह सिद्धांत एक जीवन के बदले दूसरा जीवन देने की बात करता है। यदि अजन्मा बालक मर जाए तो फिर क्या? निर्गमन 21 में सन्दर्भ, हत्याओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि अन्य अपराधों की बात करता हैं जिनमें मृत्यु सम्मिलित थी। व्यवस्था के इस भाग में स्थापित किया गया सिद्धांत यह है कि पहले दर्जे की हत्या मृत्युदण्ड के योग्य अपराध है, और अन्य प्रकार की हत्याएं नहीं हैं। एक बालक की मृत्यु हो जाना क्योंकि दो पुरुष लड़ रहे हैं और आकस्मिक तौर पर बालक की माता को चोट पहुँचा देते है यह मानव हत्या के योग्य अपराध नहीं है; इस प्रकार की मृत्यु आकस्मिक है, पहले विचार करके नहीं की गई।

इस कारण, बालक की मृत्यु का प्रतिशोध उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु से लेना, पक्षपातपूर्ण होगा। तो फिर, इस वाक्यांश में "प्राण के बदले प्राण" का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह रहा होगा कि हानि सहने वाले व्यक्ति को एक ऐसी राशि दी जाए जो बालक की मृत्यु के हरजाने के तौर पर पर्याप्त हो। वास्तव में, गिनती 35:31 यह कहता प्रतीत होती है केवल एक प्रकार की हत्या जिसके लिए छुड़ौती नहीं चुकाई जा सकती थी वह मानव हत्या थी।[12]

इसलिए, "आँख के बदले आँख" को शाब्दिक रूप में नहीं लिया जाना चाहिए: यदि कोई किसी आँख बाहर निकाल देता, तो उसकी अपनी आँख नहीं निकाली जाती थी। इसके साथ ही, इस नियम का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध को उचित ठहराना नहीं था। यह उन व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं देता था जिनके साथ बुराई की गई थी कि वे यह कहने के द्वारा कि "आँख के बदले आँख" और इसके बाद उन लोगों ने से बदले की खोज में रहें जिन्होंने उनसे बुराई की थी।[13] पुराने नियम में, नए के समान ही, बाइबल सिखाती है कि बदला लेना परमेश्वर का कार्य है (व्यव. 32:35; 1 शमूएल 25:32-35; भजन 94:1; नीति. 24:29; रोमियों 12:19)। इसके साथ ही, व्यवस्था ने इस्राएलियों को बदला लेने से मना किया था (लैव्य. 19:18) और उन्हें अपने शत्रुओं से भलाई करना सिखाया था (23:4, 5; देखें नीति. 25:21, 22)।

पुराना नियम "लहू का बदला लेने वाले" (गिनती 35:12-29) - एक मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी - को उससे बदला लेने का अधिकार देता है जिसने उसके रिश्तेदार को मारा था। हालाँकि, इसने उन शरण के नगरों को भी प्रदान किया जिनमें वह व्यक्ति भाग सकता था जिसका पीछा लहू का बदला लेना वाले के द्वारा किया जा रहा था। वहाँ पर आरोपी व्यक्ति को परखा जाता था। यदि वह निर्दोष ठहरता, तो उसे नगर में शरण मिल जाती थी। यदि वह हत्या का दोषी होता, तो उसे हत्या का बदला लेने वाले के द्वारा मार डाला जाता था, जो हत्यारे को दण्ड देने के लिए *न्यायालय के एक उपकरण* (और समाज) के लिए कार्य करता था। यह पूरी प्रक्रिया व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित थी; *यह हत्यारे का न्याय करने का एक कानूनी तरीका था।* एक सेना और पुलिस से रहित लोगों के लिए, एक कानूनी प्रणाली जितना उपाय कर सकती थी यह प्रक्रिया उसी के समान ही अच्छी थी। इस प्रकार की प्रणाली में एक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध की खोज में क़ानून को अपने हाथों में लेना सम्मिलित नहीं था।

जो लोग नए नियम को जानते हैं, उनके लिए यह विचार कि व्यवस्था ने व्यक्तिगत प्रतिशोध कि अनुमति नहीं दी थी असमंजस उत्पन्न कर सकता है क्यों उन्हें यीशु के वचन स्मरण हैं: "तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 'आँख के बदले आँख, और दाँत के बदले दाँत।' परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना; परन्तु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे" (मत्ती 5:38, 39)। इसके बाद उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यीशु अपनी शिक्षाएँ पुराने नियम के विपरीत दे रहा था। हालाँकि, यीशु पुराने नियम के विरोध में नहीं बोल रहा था परन्तु वास्तव में उसने शिक्षा के प्रति लोकप्रिय भ्रम के विषय में शिक्षा दी। स्पष्ट रूप से, यीशु के दिनों में, कुछ लोग सोचते थे कि "आँख के बदले आँख" का नियम व्यक्तिगत प्रतिशोध को उचित ठहराता था, परन्तु वह ऐसा नहीं करता था।

जब एक स्वामी उसके दास का रूप बिगाड़ दे (21:26, 27)

[26]"जब कोई अपने दास या दासी की आँख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसकी आँख के बदले उसे स्वतन्त्र करके जाने दे। [27]और यदि वह अपने दास या दासी को मारके उसका दाँत तोड़ डाले, तो वह उसके दाँत के बदले उसे स्वतन्त्र करके जाने दे।"

आयतें 26, 27. "प्रहार करने" से सम्बन्धित चौथे मामले में, एक सेवक की **आँख** को नष्ट करने या **उसका दांत** तोड़ने के लिए दण्ड की आज्ञा दी गई थी। यदि स्वामी इनमें से कोई भी करता, तो इसका दण्ड यह था कि दास को निश्चय ही **स्वतंत्र** कर दिया जाए। इस नियम और 20 और 21 आयतों के नियम में स्पष्ट अंतर यह है कि, मार खाने वाला दास मरता नहीं बस कुरूप हो जाता है।

यह नियम सम्भवतः वाचा की पुस्तक में इस स्थान पर यह समझाने के लिए सम्मिलित किया गया कि "आँख के बदले आँख" का सामान्य नियम एक दास पर

किस प्रकार लागू होगा। यह वाक्य "आँख के बदले आँख" (21:24) पहले से मान कर चलता है कि चोट खाया व्यक्ति एक स्वतंत्र मनुष्य है। एक दास का स्वामी यह तर्क दे सकता है, "यदि मैंने अपने दास की आँख फोड़ डाली, तो मैंने केवल अपनी ही सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया है। दास उसकी आँख का स्वामी नहीं है - मैं हूँ तो उसे उस हानि के लिए हरजाने दिया जाना आवश्यक नहीं है जो मैं उसे पहुँचाता हूँ।" यह नियम इस प्रकार के तर्क का खंडन यह घोषणा करते हुए करता है कि जिस स्वामी ने अपने दास को रूप नष्ट कर दिया वह दास के प्रति उस हानि के लिए उत्तरदायी था। वास्तव में, हर्जाना दास के मूल्य के बराबर था, जो कि चांदी के तीस टुकड़े था (21:32)। उसके हरजाने का "भुगतान" उस दास को उसकी स्वतंत्रता प्रदान करेगा। एक बार फिर, यह नियम उदाहरण देता है कि दासत्व में एक दास के व्यक्तित्व और मूल्य को नकारा नहीं जाता था।

बैलों से सम्बन्धित नियम (21:28-36)

21:28-36 के नियमों में एक समान बात यह है: प्रत्येक "बैल" (שׁוֹר, *shor*) या "सांड" (NIV) का वर्णन करती है। बैल सबसे बड़ा, सबसे महंगा, और सबसे घातक घरेलू पशु था। बैलों से सम्बन्धित नियमों को निस्संदेह हर प्रकार के पशुओं से सम्बन्धित न्याय के स्वरूप में देखा जाता था। दो मूल परिस्थितियों की कल्पना की गई है: पहली एक बैल का एक व्यक्ति को चोट पहुँचाना, और दूसरा एक बैल को चोट पहुँचने पर लागू होता है।

जब एक बैल एक व्यक्ति को चोट पहुँचाए (21:28-32)

28"यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए, और उसका मांस खाया न जाए; परन्तु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। 29परन्तु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो, और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बाँध रखा हो, और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए, और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। 30यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए, तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिये ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। 31चाहे बैल ने किसी बेटे को, चाहे बेटी को मारा हो, तौभी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। 32यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे, और उस बैल पर पथराव किया जाए।"

आयत 28. व्यवस्था के पिछले भागों के समान ही, यह आयत एक सामान्य नियम के विषय में बताती है, और इसके बाद आने वाली आयतें विशिष्ट मामलों पर नियम को लागू करती हैं। यहाँ पर सामान्य नियम यह है कि एक **स्वामी** को उसके खेत के पशुओं के व्यवहार के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।

एक मनुष्य कुछ बातों पर नियंत्रण कर सकता है, परन्तु वह उन बातों के लिए उत्तरदायी नहीं है जो उसके नियंत्रण से परे हैं। हालाँकि, वह **बैल** जिसने एक मनुष्य को मारा उसे पथराव करके मार दिया जाता था, एक ऐसा दण्ड जो आमतौर पर प्राणदण्ड के योग्य मनुष्यों के लिए ठहराया गया था। आर. एलन कोल ने लिखा कि उस बैल को, "एक मनुष्य के समान," निश्चय ही पथराव किया जाए, "क्योंकि बैल ने लहू दोष का कार्य किया है (उत्पत्ति 9:5)।"[14] कुछ लोग इसे बैल के प्रति पक्षपात समझेंगे, क्योंकि सींग मरना पशु का व्यवहार है। फिर भी, पुराने नियम में मानव जीवन को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए, कोई भी वस्तु जो मनुष्य का प्राण लेती - यहाँ तक कि अनजान पशु को भी दण्ड मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि बैल, वास्तव में, एक "हत्यारा," था, उसने उसके माँस को खाने के लिए अयोग्य ठहरा दिया।

आयत 29. एक अन्य परिदृश्य भी संभव है, जिसमें एक अन्य दण्ड आवश्यक है। यदि **स्वामी** यह जानता था कि **बैल** घातक था - उसे **चेताया** भी गया था फिर भी उस खतरनाक पशु को **बाँधने** के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाए।[15] वह भी उसके लिए उत्तरदायी था जो बैल ने किया था। **बैल** को अब भी पथराव किया जाना था, परन्तु इस मामले में बैल के लापरवाह **स्वामी** को भी उसी के समान **मार डाला जाता था**। वास्तव में, वह हत्या का दोषी ठहरेगा, और बैल उस हथियार के समान होगा जो किसी का प्राण लेने के लिए उपयोग किया जाता है।[16]

आयतें 30, 31. ये आयतें यह स्वीकार करती हुई प्रतीत होती हैं कि सींग मारने वाले पशु को खुला छोड़ना वास्तव में हत्या के समान नहीं है। हत्या के मामले में किसी भी छुड़ौती की अनुमति नहीं थी (21:12), परन्तु बैल के द्वारा मारे गए व्यक्ति का निकट सम्बन्धी धन आधारित समझौते की मांग कर सकता था। यह कार्य सम्भवतः देश के पुरनियों के सामने, एक न्यायिक स्थिति में घटित होगा। निकट सम्बन्धी उस व्यक्ति से जो बैल का स्वामी था, उसके दोषी स्वामी को उसके बैल के साथ मारे जाने की बजाए उससे से **एक छुड़ौती** की मांग कर सकता था। यदि वह इसका चुनाव करता, तो बैल के स्वामी को **जो कुछ उससे माँगा गया था** वही **एक पुत्र या पुत्री की** हानि के बदले चुकाना पड़ता था।

आयत 32. यह भाग पिछले भागों के समान ही, दासों से सम्बन्धित एक अनुप्रयोग के साथ (21:20, 21, 27) पूरा हो चुका है। यदि **बैल** ने एक **दास** को सींग मारकर मार डाला हो, तो क्या किया जाता था? फिर से, **बैल** पर **पथराव** किया जाता था, यह संकेत करता था, कि वास्तव में, बैल ने एक मनुष्य की हत्या की थी। इसके अलावा, वह दास के स्वामी को (मृत) दास का मूल्य का भुगतान करेगा: **चांदी के तीस शेकेल** (देखें जकर्याह 11:12, 13; मत्ती 26:15)।

जब बैल को चोट पहुँची हो (21:33-36)

[33]"यदि कोई मनुष्य गड़हा खोलकर या खोदकर उसको न ढाँपे, और उसमें किसी का बैल या गदहा गिर पड़े, [34]तो जिसका वह गड़हा हो वह उस हानि को

भर दे; वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे, और लोथ गड़हेवाले की ठहरे।
35"यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए,
तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा-आधा बाँट
लें; और लोथ को भी वैसा ही बाँटें। 36यदि यह प्रगट हो कि उस बैल की पहले से
सींग मारने की आदत पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बाँध नहीं रखा, तो निश्चय
वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे।"

आयतें 33, 34. बैलों से सम्बन्धित नियमों का दूसरा संग्रह ऐसी परिस्थितियों के विषय में बात करता जिनमें दूसरों को चोट पहुँचाने की बजाए, वे खुद चोट खाते थे। दो परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। पहली में **एक बैल या एक गधे** का एक खोदे गये या न ढांपे गए **गड्ढे** में उसकी स्वामी के अलावा किसी और के द्वारा गिर जाना सम्मिलित है। **गड्ढे का स्वामी,** उस **पशु** की मृत्यु का उत्तरदायी होता था।, और उसे उसके लिए उसका मोल चुकाना आवश्यक ठहरेगा। यदि गड्ढे का स्वामी **मोल** चुका दे, तो उसे पशु की लोथ रखने की अनुमति होती थी। चूंकि, वह हत्या के द्वारा दूषित नहीं था, उसका मांस खाया जा सकता था।

आयतें 35, 36. दूसरी परिस्थिति में क्या किया जाता था, जब **एक मनुष्य का बैल** दूसरे मनुष्य को मार डालता था? तो दो बैलों के स्वामियों को **जीवित बैल को बेचकर उसका मोल आपस में बाँटना पड़ता था**, और इसके साथ ही **मरे हुए बैल** का माँस भी बाँटना पड़ता था। एक बार फिर, यदि वह बैल जिसने दूसरे को मार डाला **उसे पहले से ही सींग मारने की आदत थी** तो यहाँ पर एक छूट दी गई थी। यदि "सींग मारने" वाले बैल के **स्वामी** ने उसे खुला छोड़ा था, तो उसे मृत पशु के स्वामी को उसके बदले में - **बैल के बदले बैल** देना पड़ता था। मोल चुकाने के बाद, उसे **मृत पशु को रखने** और उसके माँस को उपयोग करने की अनुमति होती थी।

अनुप्रयोग

"कान [मेरा] में छेद करना" (21:2-6)

निर्गमन 21:2-6 बताता है कि किसी दास का एक नियत वर्षों तक सेवा करने के बाद, वह एक स्वतन्त्र मनुष्य के रूप में अपने स्वामी की सेवा को छोड़ सकता था। यदि उसने दासत्व के अपने वर्षों में पत्नी और बच्चे कर लिया हो, और यदि वह अपने स्वामी से प्रेम रखता था, तो वह चयन कर सकता था कि वह स्वतन्त्र होकर नहीं जाएगा। स्वैच्छिक रूप से आजीवन सेवक बने रहने की निशानी के रूप में, उसके कान में छेद किया जाता था।

"पीयर्स माई इयर" नामक एक लोकप्रिय भक्ति गीत इस अध्याय से लिया गया है।[17] अपने स्वामी के प्रति दास की स्वैच्छिक भक्ति का उपयोग किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मसीह को चुनता है तो वह मसीह की माँगों से मुक्त हो सकता है; क्योंकि, एक मसीही बनने के द्वारा, दास के रूप में वह स्वेच्छा से आजीवन प्रभु

की सेवा कर सकता है। वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह अपने स्वामी से प्रेम रखता है (21:5)! निःसंदेह, दो परिस्थितियाँ बिल्कुल समानान्तर नहीं हैं। वास्तव में, कोई भी पूरी रीति से स्वतन्त्र नहीं हो सकता। हर कोई पाप का दास या धार्मिकता का दास है (रोमियों 6:17, 18), और दोनों स्वामी की सेवा करने का प्रयास करने का एक दण्ड है (रोमियों 6:23)। आपके पास अपने मालिक से "मेरी कान छेद दें" कहने के कई कारण हैं।

परमेश्वर के लोगों का उचित व्यवहार (21:12-36)

व्यवस्था और उसके नियमों का निष्पक्ष होना प्रभावशाली है (21:12-36)। परमेश्वर के लोगों को दूसरों के साथ उनके व्यवहार में, उचित और निष्पक्ष होने की आवश्यकता थी (मीका 6:8)। इसी तरह का व्यवहार, मसीहियों का भी होना चाहिए (देखें मत्ती 23:23)। क्या हममें हैं? क्या हम दूसरों का अनुचित रीति से लाभ उठाते हैं? जब हम किसी व्यवसाय के लेन-देन में प्रवेश करते हैं, तो क्या हम केवल हमारे लिये "अच्छा सौदा" पाने के बारे में सोचते हैं? क्या हम दूसरों के खर्च पर लाभ कमा रहे हैं? क्या हमें अपनी वास्तविक हानि से अधिक भरपाई के लिये एक बड़ी कंपनी पर मुकदमा करना चाहिए?

समाप्ति नोट्स

[1]इस शब्द का एकवचन रूप मीका 6:8 में मिलता है और इसका अनुवाद "न्याय" किया गया है: "यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले?" (बल दिया गया है।) [2]*द एक्स्पोसिटर्स बाइबल कमेन्ट्री*, वॉल्यूम 2, *जेनेसिस-नंबर्स* (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन, 1990), 429 वाल्टर सी. कैसर, जूनियर, "एक्सोडस।" कैसर का "नागरिक" शब्द का उपयोग चाहे आधुनिक समय में लोगों के समझने लायक है, परन्तु यह उचित नहीं होगा, क्योंकि सम्भवतः इस्राएल "नागरिक व्यवस्था" और "धार्मिक व्यवस्था" के मध्य भेद स्वीकार नहीं करता था। उनके सभी नियम परमेश्वर के द्वारा दिए गए थे। [3]जॉन. आई. डरहम, *एक्सोडस*, वर्ड बिब्लिकल कमेन्ट्री, वॉल्यूम 3 (वाको, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1987), 307. 320. [4]जॉन जे. डेविस, *मोज़ेस एंड द गॉडस ऑफ़ इजिप्ट: स्टडीज इन एक्सोडस*, सेकेण्ड एडिशन. (ग्रैंड रैपिड्स. मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1986), 227. [5]गॉर्डन डी. फी एंड डगलस स्टुअर्ट, *हाउ टू रीड द बाइबल फॉर आल इट्स वर्थ*, थर्ड एडिशन. (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन, 2003), 174. [6]अन्य टिप्पणीकार 13 वीं आयत के इस "स्थान" को 14 वीं आयत में वेदी के सन्दर्भ के रूप में देखते हैं। देखें एच. एल. एलिसन, *एक्सोडस*, द डेली स्टडी बाइबल सीरीज (फिलाडल्फिया: वेस्टमिन्स्टर प्रेस, 1982), 125. [7]जॉन एच. वाल्टन एंड विक्टर एच. मैथ्यूज़, *जेनेसिस-ड्यूट्रोनोमी*, द IVP बाइबल बैकग्राउंड कमेन्ट्री (डाउनर्स ग्रोव, इल्लिनोय: इंटरवर्सिटी प्रेस, 1997), 112. [8]*डिक्शनरी ऑफ़ द ओल्ड टेस्टामेंट - पेंटाटुएक* (डाउनर्स ग्रोव, इल्लिनोय: इंटरवर्सिटी प्रेस, 2003), 93-94 में डोनल, पी. ओ'मथुना, "बॉडीली इन्जुरिज़, मर्डर, मैनस्लॉटर।" [9]जेम्स बी. प्रिचार्ड, एड., *एन्शिएंट नियर ईस्टर्न टेक्स्ट्स रिलेटिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट*, थर्ड एडिशन (प्रिन्सटन, न्यू जर्सी: प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969), 175 (nos. 209-214), 181, 184, 85 (nos. 21, 50, 53), 190 (nos. 17, 18); विलियम एच. प्रोप्प, *एक्सोडस 19-40: अ न्यू ट्रांसलेशन विद कमेन्ट्री एंड इंट्रोडक्शन*, एंकर बाइबल, वॉल्यूम 2a (न्यू यॉर्क: डबलडे, 2006), 226-27. [10]देखें

मार्टिन नोट, *एक्सोडस*, ट्रांस. जे. एस. बोडन, द ओल्ड टेस्टामेंट लाइब्रेरी (फिलाडल्फिया: द वेस्टमिन्स्टर प्रेस, 1962), 182.

[11]अन्य दृष्टिकोण यही है कि शारीरिक अंगच्छेदन प्राचीन इस्राएल में घटित हुआ था (यह "उसके साथ भी किया जाए," लैव्य. 24:19; "तुम उसके साथ करना," व्यव. 19:19), परन्तु अंत में इसे धन-सम्बन्धी क्षतिपूर्ति के द्वारा बदल दिया गया था। देख जोसफस *एंटीक्वीटीस* 4.8.35; मिस्राह *बाबा काम्मा* 8.1, 2. तुलना करें प्रिचार्ड, 175 (nos.196-201) में "द कोड ऑफ़ हम्मुराबी।" [12]एक प्रमाण के रूप में कि "प्राण के बदले प्राण" वाक्य स्वयं में एक रूढ़िवादी अभिव्यक्ति था, लैव्यव्यवस्था 24:18 पर विचार करें: "जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात् प्राणी के बदले प्राणी दे।" अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि इस विधि के लिए मृत पशु के मूल्य के बराबर धन का हर्जाने का भुगतान आवश्यक था। इसमें एक पशु की मृत्यु का बदला लेने के लिए दूसरे पशु की मृत्यु आवश्यक नहीं थी। [13]देखें कोय डी. रोपर, "'एन आई फॉर एन आई': द प्रॉब्लम ऑफ़ रीटेलिएशन इन एन्शिएंट इजराएल," *द जर्नल ऑफ़ बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन* 1 (जुलाई-सितम्बर 2002): 21-46. [14]आर. ए. एलन कोल, *एक्सोडस: एन इंट्रोडक्शन एंड कमेन्ट्री*, टिंडेल ओल्ड टेस्टामेंट कमेन्ट्रीज़ (डाउनर्स ग्रोव, इल्लिनोय: इंटर-वर्सिटी प्रेस, 1973), 170. [15]तुलनात्मक कानून में, "द कोड ऑफ़ हम्मुराबी" स्वामी को नगर परिषद के द्वारा चेतावनी दिए जाने की कल्पना करता है। बचाव के उपायों में बैल को बांधना और उसके सींगो को गद्देदार बनाना सम्मिलित है। देखें प्रिचार्ड, 176 (नं. 251)। [16]आधुनिक समय में भी इसी के समान नियम पाए जाते है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नियम पशु के अपराधों के लिए पशु के स्वामी को उत्तरदायी ठहराते हैं। [17]स्टीव क्रॉफ्ट, "पीयर्स माई इयर," ©1980 by Dayspring Music, http://www.mpcofc.org/youth/songs/songbook/song_book_page_3.htm (23 अक्तूबर, 2008 को लिया गया)।